

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 3465.R / 2020-21 सन्  
16-17

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में

27/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती विष्णु नन्दो पिता/पति सोमा कदो

मौजा हेबवाल लॉ 31 थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-


में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 21 / 55-56 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के सामान्य जाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>हेबवाल लॉ 31</u>	<u>282</u>	<u>87</u>	<u>549</u> <u>545</u>	<u>0.52</u> <u>0.46</u> <u>0.98</u> (अ.)

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 06/11/2020 को उपस्थापित करें।


  
अंचल अधिकारी  
अड़की।

05/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती वेण्कटेश्वर तट्टो  
..... पिता/पति सोना तट्टो ..... मौजा-हेबाला लौंग थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-हेबाला लौंग थाना नं० 282 ..... खाता सं० 37  
प्लॉट सं० 549, 545 ..... रकबा-0.53, 0.46 ..... लगान ..... रुपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-हेबाला लौंग  
लौंग थाना नं० 282 .....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।